जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना नगीना **दिनांकः-24.11.2026**

थाना नगीना पुलिस द्वारा सर्विलांस एवं स्वॉट टीम की सहायता से पुलिस मुठभेड़ के दौरान अन्तर्राज्यीय गिरोह के कुल 05 अभियुक्तों (03 अभियुक्तों को घायल अवस्था में) को घटना में प्रयुक्त कार, 02 अवैध शस्त्र, गौकशी के उपकरणों तथा 02 जीवित गौवंशीय पशुओं (बैल) सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2026 को रात्रि करीब 03:00 बजे थाना नगीना पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमणशील थी । इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम काजीवाला के जंगल में कुछ व्यक्ति 02 गौवंशीय पशुओं का वध करने की फिराक में हैं।

सूचना पर थाना नगीना पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची तो 05 अभियुक्त गन्ने के खाली खेत में 02 गौवंशीय पशुओं को पास में बाँधकर गौकशी करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 03 अभियुक्त 1.सईद अहमद पुत्र स्व0 यामीन निवासी मौहल्ला कलालान, थाना नगीना जनपद बिजनौर, 2.वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र अब्दुल वहाब निवासी मौहल्ला कलालान, थाना नगीना जनपद बिजनौर एवं 3.कासिम उर्फ बुल्ला पुत्र सईद अहमद निवासी मौहल्ला जाफ्तागंज, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों घायल अभियुक्तों सहित 02 अन्य अभियुक्तगण 4. मोमीन पुत्र शरीफ निवासी ग्राम तुख्मापुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर एवं 5. अनिल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम काजीवाला, थाना नगीना, जनपद बिजनौर को मौके से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बैंगनार कार (UA07T0414), 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण तथा 02 जीवित गौवंशीय पशु (बैल) बरामद किए गए । घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु सीएचसी नगीना भेजा गया।

इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 388/26 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस, धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सईद अहमद पुत्र स्व0 यामीन निवासी मौहल्ला कलालान, थाना नगीना, जनपद बिजनौर ***(एच0एस0 नं0 122(ए))***

2.वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र अब्दुल वहाब निवासी मौहल्ला कलालान, थाना नगीना, जनपद बिजनौर ***(एच0एस0 नं0 72(ए))***

3.कासिम उर्फ बुल्ला पुत्र सईद अहमद निवासी मौहल्ला जाफ्तागंज, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर

4.मोमीन पुत्र शरीफ निवासी ग्राम तुख्मापुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर

5.अनिल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम काजीवाला, थाना नगीना, जनपद बिजनौर

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण 1.सईद अहमद, 2.वाहिद उर्फ टल्ली एवं 3.कासिम उर्फ बुल्ला द्वारा बताया गया कि वे वर्तमान में जनपद देहरादून में निवास करते हैं तथा आपस में मिलकर गौकशी का कार्य करते हैं। अभियुक्त अनिल एवं मोमीन गौवंशीय पशुओं को खरीदकर अथवा आवारा पशुओं को पकड़कर जंगलों के सुनसान स्थानों पर बांध देते थे तथा इसकी सूचना अभियुक्तगण सईद, वाहिद एवं कासिम को देते थे। सूचना मिलने पर उक्त तीनों अभियुक्त मौके पर पहुंचते थे तथा सभी अभियुक्त मिलकर गौवंशीय पशुओं का वध करते थे। तत्पश्चात गौमांस को जनपद देहरादून में सप्लाई कर उससे प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे।

अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि वे जनपद बिजनौर के ग्राम काजीवाला के जंगल, जनपद कोटद्वार के जंगलों एवं अन्य सुनसान स्थानों पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। जनपद देहरादून में निवास करने के कारण उन्हें अपनी पहचान छिपाने एवं पुलिस की निगरानी से बचने में सहायता मिलती थी ।

दिनांक 24.11.2026 की रात्रि में भी सभी अभियुक्त ग्राम काजीवाला के जंगल में खो नदी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर दो गौवंशीय पशुओं (बैल) का वध करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए उन्हे पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण-

1.एक बैंगनार कार संख्या UA07T0414
2.दो अवैध देशी तमंचे 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस एवं 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3.गौकशी करने के उपकरण
4.दो जीवित गौवंशीय पशु (बैल)

गिरफ्तार अभियुक्त सईद अहमद(एच0एस0 नं0 122(ए)) उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं 507/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 43/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 164/20 धारा 307 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 165/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 170/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 317/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 252/21 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 334/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 482/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 335/16 धारा 380/411/34 भादवि थाना कोटद्वार, पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड
11. मु0अ0सं0 72/17 धारा 380/34 भादवि थाना कोटद्वार, पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड
12. मु0अ0सं0 282/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोटद्वार, पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड

गिरफ्तार अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली (एच0एस0 नं0 72(ए)) उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 89/26 धारा 109(1) बीएनएस, 3/5/8 गौवंश निवारण अधि0 व 3/25/27 आयुध अधि0, थाना नगीना, बिजनौर
2. मु0अ0सं0 09/24 धारा 3/4/5/25/27 आयुध अधिनियम, 307, 398, 401 भादवि, थाना नगीना देहात, जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 664/23 धारा 380/411 भादवि, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 17/22 धारा 3/5/11(1) गौ संरक्षण अधिनियम, थाना कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. मु0अ0सं0 89/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 173/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 59/20 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 146/20 धारा 269/429 भादवि, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 469/16 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 129/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 164/20 धारा 307 भादवि, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 165/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 169/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 317/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
15. मु0अ0सं0 160/19 धारा 392/411 भादवि, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
16. मु0अ0सं0 358/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
17. मु0अ0सं0 331/18 धारा 323/506 भादवि, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
18. मु0अ0सं0 211/17 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
19. मु0अ0सं0 340/17 धारा 307/379/511/34 भादवि, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
20. मु0अ0सं0 426/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना नगीना, जनपद बिजनौर
21. मु0अ0सं0 131/16 धारा 379 भादवि, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर
22. मु0अ0सं0 142/16 धारा 379/411 भादवि, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर
23. मु0अ0सं0 216/15 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर
24. मु0अ0सं0 230/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर
25. मु0अ0सं0 275/13 धारा 379 भादवि, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर
26. मु0अ0सं0 277/13 धारा 3/5/8 गौवंश निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर
27. मु0अ0सं0 448/11 धारा 379/413/414 भादवि, थाना नगीना, जनपद बिजनौर

नोटः- ***दिनांक 31.01.2023 को मु0अ0सं0 230/15 गैंगस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर)/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया था।***

गिरफ्तार अभियुक्त कासिम उर्फ बुल्ला पुत्र सईद अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 99/19 धारा 269/270/429 भादवि धारा 3/5/8 गौवंश निवारण अधि0 थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 41/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 556/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 453/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 603/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरी0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 हिमांशु गौस्वामी प्रभारी सर्विलांस सेल, जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नगीना जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री सोहन सिहं थाना नगीना जनपद बिजनौर
4.हे0का0 618 सन्नीराज थाना नगीना जनपद बिजनौर
5.हे0का0 136 योगेश कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
6.हे0का0 हरमीत कुमार स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
6.का0 1583 मोनू कुमार सर्विलांस सेल, जनपद बिजनौर
7.का0 2249 विशाल तोमर सर्विलांस सेल, जनपद बिजनौर
8.का0 अचिन कुमार स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
9.का0 आकाश स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
10.का0 अनील कुमार स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
11.का0 बालिन्द्र कुमार स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
12.का0 शिवम स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
13.का0 नीरज कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
14.का0 दिलशाद स्वॉट टीम जनपद बिजनौर
15.का0 808 मोहित मलिक थाना नगीना जनपद बिजनौर
16.का0 1886 अमित थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना हल्दौर **दिनांक-24.11.2026**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 238/2026 धारा 318(4) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी कार तथा 07 खाली प्लास्टिक की कैन सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:-



दिनांक 24.10.2026 को वादी श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम ज्ञानपुर, थाना नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति काले रंग की टाटा सफारी गाड़ी से आया तथा गाड़ी में रखी कैनों में 750 लीटर डीजल (कीमत लगभग ₹71,400) भरवाया। इसके बाद सेल्समैन शहशाह आलम को हाथ से पर्ची बनाने के लिए कहकर कार्यालय में भेज दिया तथा फोन पर बात करते हुए डीजल लेकर गाड़ी सहित फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 283/2026 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात टाटा सफारी चालक पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त तंजील अली अंसारी पुत्र वाजिद अली अंसारी निवासी मौहल्ला शाहमदार जाहफर नवाज, थाना कोतवाली शहर, जनपद सहारनपुर को दिनांक 24.11.2026 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी कार तथा 07 खाली प्लास्टिक की कैन बरामद की गईं। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तंजील अली अंसारी पुत्र वाजिद अली अंसारी निवासी मौ0 शाहमदार जाहफर नवाज थाना कोतवाली शहर जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से ₹8,850 नगद, घटना में प्रयुक्त काले रंग की टाटा सफारी कार रजिस्ट्रेशन नं0 UP14BK0363, नीले रंग की 07 खाली प्लास्टिक की कैन तथा एक सैमसंग मोबाइल फोन (रंग स्लेटी) बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रजत चौधरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 506 देवेन्द्र थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 2742 विक्रांत प्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।